कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल सतना, मध्य प्रदेश

(मुख्त्यारगंज रेल्वे फाटक के पास सिबिल लाईन सतना)

E-mail-dfotsatna@mp.gov.in Phone- 07672-223355

क्रमांक /मा0चि0/ 7335 सतना, दिनांक / 11 / 8 /2025

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
वन भवन, भोपाल

विषयः–वनमण्डल सतना के परिक्षेत्र मझगवां ग्राम पिपरीटोला के वन कक्ष क्रमांक पीएफ–870 के रकवा 4.600 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से ओकर, व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण का श्री शरद कुमार बंसल, सतना के व्यपवर्तन का ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/33660/2010

संदर्भः–1. आपका पत्र क्रमांक/211 दिनांक 17.01.2025
2. मुख्य वन संरक्षक, रीवा पत्र क्रमांक/मा0चि0/561 दिनांक 24.01.2025
3. आवेदक शरद कुमार बंसल, जैतवारा, सतना का आवेदन दिनांक 14.07.2025

———–000———–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.01.2025 से 6 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

संदर्भित पत्र क्रमांक 03 से आवेदक संस्था द्वारा बिन्दु क्रमांक 01 से 05 तक की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो संलग्न है तथा बिन्दु क्रमांक 06 निम्नानुसार है–

क्र0	चाही गई जानकारी के बिन्दु	पालन प्रतिवेदन
6	Compensatory affoestation has been proposed over degraded forest land comprising an area of 8 ha owing to failed plantation work carried out earlier over the non-forest land comprising an area of 8 ha. However, the State Govt. has not uploaded/ submitted the KML file of degraded forest land indentified and proposed for CA. Further, it may be clarified that why the plantation is bering proposed on degraded forest land and not on the same non-forest land. the State Govt. is requested to comment on the sit suitability of the non forest land identified earlier of CA plantation.	बिन्दु क्रमांक 6 के पालन में प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गई गैर वनभूमि ग्राम नयागांव की आराजी नम्बर 96/1 रकवा 8.00 हे0 है। वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाये जाने पर पूर्व में रोपण कार्य किया गया था। उक्त प्रदाय की गई गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत अधिसूचना क्रमांक डी–594–90–03–दस–तीन 17 फरवरी 2003 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 28 फरवरी 2003 से संरक्षित वन घोषित किया जा चुका है, जिसका वर्तमान में वन कक्ष क्रमांक पी–868 है। इसी प्राप्त पूर्व गैर वनभूमि पर पुनः रोपण योजना तैयार की गई है, जो संरक्षित वन घोषित होने से वनभूमि हो चुकी है। प्राप्त गैर वनभूमि (वर्तमान संरक्षित वन) की के0एम0एल0 फाइल पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। (उपयुक्तता प्रमाण एवं रोपण योजना की छायाप्रति संलग्न है) प्रपत्र–12

E:\Shiv kishor\D.M 17-10-2013\Memo 2012, 2013, 2014, 2015,2025\memo 2025.docx603

Scanned with OKEN Scanner

अतएव प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उठाई गई 6 बिन्दुओं की आपत्ति की पूर्ति कर आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत संदर्भित पत्र मय संलग्नक सहित आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

पृष्ठांकन/मा0चि0/7336 सतना, दिनांक/11/8/2025

प्रतिलिपि,

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. श्री शरद कुमार बंसल, ग्राम/पोस्ट जैतवारा, जिला सतना की ओर सूचनार्थ ।

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

Scanned with OKEN Scanner